न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 165/2019 निर्णय दिनांक :– 31.12.19

उनवान

1. हरलाल पुत्र रामकरण
2. कृष्ण पुत्र रामकरण
3. लक्ष्मण पुत्र रामकरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम यारलीपुरा उर्फ सदाशिवरुप तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोट्खावदा, जिला जयपुर राज।

––प्रतिवादी

<u>वाद बाबत नक्शा दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत कियागया कि वादी के खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि जिसके ख0 नं0 14 रकबा 0.94 ख0 नं० 20 रकबा 0.52 ख0 नं0 30 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

10 ख0 नं0 38 रकबा 0.09 ख0 नं0 52 रकबा 0.26 ख0 नं0 58 रकबा 0.16 ख0नं0 68 रकबा 0.06 ख0 नं0 9। रकबा 0.33 ख0 नं0 92 रकबा 0.32 ख0 नं0 93 रकबा 0.32 ख0 नं0 160 रकबा 0.14 ख0 नं0 169 रकबा 0.09 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.33 जो वाके ग्राम यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है उक्त आराजी पर वादीगण अपने हिस्से के खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे है और उक्त वाद में उक्त भूमि ही वादग्रस्त भूमि है। वादीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर साबिक नक्शे अनुसार काबिज है वर्तमान नक्शा ट्रेस में एकीकरण के समय नक्शे में परिवर्तन करते हुए वादीगण का रकबा कम कर दिया जो कि रकबा बरारी करने के पश्चात वादीगण का रकबा कम बैठता है उक्त नक्शे में गडबड होने के कारण मौके पर आये दिन विवाद होता रहता है जबकि वादीगण आज भी साबिक नक्शे अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। जिसका वादीगण लगातार अपने पूर्वजों के समय से ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का रकबा राजस्व रिकार्ड में अंकित है उसी अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। जो नक्शा एकीकरण के समय बनाया गया वह नक्शा मौके पर छोटा बना दिया जिससे वादीगण का रकबा राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के अनुसार नहीं बेठता है। जबकि वादीगण राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर पूरे रकबे पर काबिज है। राजस्व कर्मचारियों ने एकीकरण के समय नक्शा छोटा कर दिया। जबकि राजस्व रिकार्ड में रकबे में कोई फेरबदल नहीं हुआ और राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही वादीगण पूरी जमीन पर काबिज है। जो नक्शा राजस्व कर्मचारियों ने एकीकरण के समय बनाया था। वह नक्शा मौके पर रकबे के अनुसार नहीं बेठता। नक्शे में वादीगण की जमीन कम बेठती है। जिससे वादीगण को काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है। मौके पर नक्शा राजस्व कर्मचारियों ने छोटा कर दिया जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण की खातेदारी भूमि जिसको वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित किया गया है का रकबा जमाबन्दी में सही है परन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा कम बैठ रहा है जिसके संबंध में वादीगण ने नक्शे की जमाबन्दी के अनुसार रकबा बरारी करवा रखी है जिसमें वादीगण का नक्शा छोटा बैठता है वादीगण पुराने साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान में काबिज है। दिनांक 12.07.2019 को प्रतिवादी के पास उक्त नक्शा दुरस्त करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण से कहा कि वह जरिये न्यायालय ही दुरस्त करवाये जिस कारण वाद प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। प्रतिवादी भू–धारक है जिन्हें प्रकरण में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र को सुनने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद इस कदर डिकी फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित किया गया है जो वाके ग्राम यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है का नक्शा एकीकरण के समय छोटा कर दिया जिसकी रकबा बरारी की जाकर जमाबन्दीं में वर्णित रकबे. के अनुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाकर वादीगण को उक्त नक्शे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। दावा वकी वादी के द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया कि मद संख्या 1 मुताबिक ग्राम यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 151 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करे। मद संख्या 3 के क्रम में वर्तमान जमाबंदी व नक्शे के मुताबिक उक्त खसरा नम्बरान का रकबा निम्न प्रकार है।

ख0न0	जमाबंदी के अनुसार रकबा	पटवारी के पास मौजूद नक्शे के अनुसार रकबा	ख0न0	जमाबंदी के अनुसार रकबा	पटवारी के पास मौजूद नक्शे के अनुसार रकबा
14	0.94	0.53	68	0.06	0.06

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

20	0.52	0.29	91	0.33	0.26
30	0.10	0.10	92	0.32	0.24
38	0.09	0.0761	93	0.32	0.23
52	0.26	0.2930	160	0.14	0.16
58	0.16	0.1850	169	0.09	0.09

मद संख्या 4 व 5 वादी स्वयं सिद्ध करे। मद संख्या 6 से 9 कानूनी है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किय कि जवाब सरकार अनुसार वादी का दावा स्वीकार कर वादी की भूमि का नक्शा जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त किया जावे। वकील वादी की बहस पर गोर किया व जवाब सरकार व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादी की वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस में एकीकरण के समय में परिवर्तन करते हुये वादीगण का रकबा कम कर दिया जो रकबा बरारी करने पर वादीगण का कब्जा कम बैठता है जवाब सरकार अनुसार वादीगणस की भूमि दर्ज जमाबंदी के अनुसार कम बैठता है जबकि वादीगण साबिक नक्शे अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। जो नक्शा एकीकारण के समय वह नक्शा मौके पर छोटा बना दिया जिससे वादीगण का रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार नही बैठता एकीकरण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के समय नक्शा छोटा कर दिया जबकि राजस्व रिकार्ड में कोई फेर बदल नही हुआ। जो जवाब सरकार से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि रकबा बरारी रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा छोटा कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 14, 20, 30, 38, 52, 58, 68, 91, 92, 160, 169 किता 12 रकबा 3.33 है0 वाके ग्राम यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा तहसील चाकसू का नक्शा एकीकरण द्वारा छोटा कर दिया गया जिसको तहसील रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी मे वर्णित रकबे के अनुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:24:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: